

1072
18/2/13
खण्ड - 6

बिहार विधान मंडल पुस्तकालय
शोध/संदर्भ ग्रंथ

संख्या - 21, 22

एकादश
बिहार विधान-सभा (वादवृत्त)



भाग - 1
कार्यवाही प्रश्नोत्तर

तिथि - 23, 24 जुलाई, 1996 ई०

है कि यह जो बकाया भुगतान है यह कब तक कर्मचारियों को दे देंगे। इसलिए कि 17-18 साल से ये कर्मचारी काम कर रहे हैं। कैजुअल वेसिस पर इनके नहीं रहने के कारण मुंगेर वस डीपों की स्थिति चरमरा गई है। माननीय मंत्री ने उसका उद्घाटन किया था। तीन दिन तक वह चला लेकिन कर्मचारियों के अभाव में अभी तक नहीं चल रहा है। वहां पर लेबर का बहुत अभाव है और 34 माह का वेतन इन लोगों का बकाया है।

श्री इन्दर सिंह नामधारी : अध्यक्ष महोदय, वेतन भुगतान किस्तों में करने की व्यवस्था की जा रही है। जो नियमित कर्मचारी हैं, वे ही बेकार बैठे हुए हैं तो जो कैजुअल हैं, उनको रखना दुहरा नुकसान है। लेकिन उनके बकाये राशि का भुगतान किस्तों में देने की व्यवस्था की जा रही है।

विद्यालय भवनों की मरम्मती

2615. श्री राम लखन महतो : क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत दलसिंहसराय प्रखंड के कच्चा प्राथमिक विद्यालय (शहर), मध्य विद्यालय लोकनाथपुरगंज, प्राथमिक विद्यालय बसदिया (एन०च०), मध्य एवं प्राथमिक विद्यालय पाँड, प्राथमिक मखतब चकबहाउद्दीन बेसिक मध्य विद्यालय सलखन्नी, प्राथमिक विद्यालय मोख्तियारपुर तथा बिद्यापति प्रखंड के मध्य विद्यालय हर पुरबोचहा, प्राथमिक विद्यालय बदौनी पोहनपुर, मध्य विद्यालय काँचा, मध्य विद्यालय सिमरी एवं प्राथमिक विद्यालय गढ़सिसई के भवन क्षतिग्रस्त हैं, जिसके कारण पठन-पाठन में घोर असुविधा है?

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों के भवन की मरम्मतों का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री राम लाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछता हूँ।

अध्यक्ष : आप कैसे पूछते हैं। आपको औथोरिटी उन्होंने नहीं दिया है।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : वस्तुस्थिति यह है कि प्रारंभिक विद्यालयों के भवन का निर्माण मरम्मत हेतु सरकार कृत संकल्प है। विभागीय पत्रांक 696 दिनांक 21.7.96 द्वारा जिलाधिकारी, समस्तीपुर को प्राथमिकता के आधार पर प्रश्नगत विद्यालयों के भवन मरम्मत हेतु निर्देश दिया जा चुका है।

प्रदूषण की रोकथाम

2616। श्री मृगेन्द्र प्रताप सिंह- क्या मंत्री, वन एवं पर्यावरण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(1) क्या यह बात सही है कि जमशेदपुर स्थित टिस्को थर्मल पावर हाउस संख्या 3 में ताप विद्युत उत्पादन के नियुक्त कोयले का उपयोग किया जाता है?

(2) क्या यह बात सही है कि उपयोगोपरान्त प्रयुक्त कोयला राख एवं "फ्लाइ ऐश" के रूप में विसर्जित होता है, जिसमें "फ्लाइ ऐश" की मात्रा 800 मिट्टिक टन प्रतिदिन है?

(3) क्या यह बात सही है कि सीमेंट के रंग का "फ्लाइ ऐश" वातावरण में आसानी से मिश्रित हो जाने वाला मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है, जिसकी पुष्टि केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा वर्ष, 1993 में करते हुए कहा गया है कि यह फेफड़े को नुकसान पहुँचाता है?